शीर्षप्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-01/2018/बी-2-35/दस-2018-आर-2/2016

प्रेषक,

लहरी यादव,
वितीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश
4. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 जनवरी, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के तृतीय त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ो के लेखा मिलान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-टी. एम.-II/ग्रुप-IV/लेखा मिलान/एफ.-18/100407, दिनांक 09 जनवरी, 2018 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आंकड़ो के त्रैमासिक लेखामिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह अक्टूबर, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ो का विभागीय आंकड़ो से मिलान के लिए दिनांक 12 फरवरी, 2018 से 20 मार्च 2018 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2017-2018 के तृतीय त्रैमास (माह अक्टूबर, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखा मिलान दल, लेखा मिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

...../2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षो के व्यय के आंकड़ो का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा। नियंत्रक अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नही कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगे।

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखा मिलान कार्य दिनांक 20.03.2018 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संख्या-01/2018/बी-2-35/दस-2018-आर-2/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र संख्या-टी.एम.II/गुप- IV/ लेखा मिलान/एफ-18/100407 दिनांक 09 जनवरी, 2018 के संदर्भ में।
2. उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

...../3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-01/2018/बी-2-35/दस-2018-आर-2/2016, दिनांक 29 जनवरी, 2018 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित माह अक्टूबर, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ो से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
01.	आबकारी	12.02.2018
02.	आवास	
03.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/ हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उदयोग/खादी एवं ग्रामोद्योग/ मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
04.	आई.टी. एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग	
05.	ऊर्जा	13.02.2018
06.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
07.	रेशम विभाग	
08.	कृषि विभाग	15.02.2018
09.	परती भूमि विकास	
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	16.02.2018
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	
14.	भूगर्भ जल विभाग	19.02.2018
15.	लघु सिंचाई	
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17.	सैनिक कल्याण	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
18.	पंचायती राज विभाग	20.02.2018
19.	पशुधन	
20.	दुग्ध विकास	
21.	मत्स्य	21.02.2018
22.	सहकारिता	
23.	कार्मिक एवं नियुक्ति	
24.	खाद्य एवं रसद	22.02.2018
25.	खेल एवं युवा कल्याण	
26.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	
27.	गृह (कारागार)	23.02.2018
28.	गृह (पुलिस)	
29.	नागरिक सुरक्षा	
30.	राजनीतिक पेंशन	26.02.2018
31.	गृह (गोपन)	
32.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
33.	परिवार कल्याण विभाग	27.02.2018
34.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	
35.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
36.	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
37.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	28.02.2018
38.	नगर विकास	
39.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
40.	नागरिक उड्डयन	05.03.2018
41.	भाषा	
42.	नियोजन	
43.	निर्वाचन	
44.	न्याय	06.03.2018
45.	परिवहन	
46.	पर्यावरण	
47.	वित्त विभाग	07.03.2018
48.	प्रशासनिक सुधार	
49.	प्राविधिक शिक्षा	
50.	अल्प संख्यक कल्याण	
51.	महिला एवं बाल विकास	08.03.2018
52.	राजस्व	
53.	सहायता एवं पुर्नवास	
54.	राष्ट्रीय एकीकरण	
55.	लोक निर्माण	09.03.2018
56.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
57.	वन	
58.	पर्यटन	
59.	विधान परिषद सचिवालय	12.03.2018
60.	विधान सभा सचिवालय	
61.	विधायी एवं संसदीय कार्य	
62.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
63.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	13.03.2018
64.	बेसिक शिक्षा	
65.	माध्यमिक शिक्षा	
66.	उच्च शिक्षा	
67.	श्रम	
68.	सचिवालय प्रशासन	14.03.2018
69.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
70.	विकलांग कल्याण	
71.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
72.	समाज कल्याण	15.03.2018
73.	जनजाति कल्याण	
74.	सतर्कता विभाग	
75.	सामान्य प्रशासन	
76.	मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
77.	सार्वजनिक उद्यम	16.03.2018
78.	सूचना	
79.	संस्थागत वित्त	
80.	स्टाम्प एवं पंजीयन	
81.	मनोरंजन कर	19.03.2018
82.	व्यापार कर	
83.	सांस्कृतिक कार्य	
84.	सिंचाई	
	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	20.03.2018

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।